

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रेस नोट संख्या: 64, दिनांक: 01-03-2024

उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गयी आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में संधमारी कर पेपर आउट कराने तथा कर्मचारी चयन आयोग, दिल्ली द्वारा संचालित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आरक्षी की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार ।

उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गयी उ0प्र0 पुलिस आरक्षी की भर्ती की लिखित परीक्षा में संधमारी कर पेपर आउट कराने तथा कर्मचारी चयन आयोग, दिल्ली द्वारा संचालित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आरक्षी की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह के एक अभियुक्त को दिनांक 29-02-2024 को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान पुत्र राजबीर सिंह निवासी ग्राम कुटबा थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर ।

अभियुक्त से बरामदगी:-

- 1- 09 अदद एडमिट कार्ड (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आरक्षी की 2024 की परीक्षा से सम्बन्धित)
- 2- 01 अदद मोबाइल फोन
- 3- 03 अदद ए0टी0एम0 कार्ड आदि
- 4- 01 अदद हस्तलिखित उ0प्र0 पुलिस भर्ती से सम्बन्धित प्रश्न-पत्र ।

गिरफ्तारी स्थल/समय-

कस्बा शाहपुर के बस स्टॉप के पास थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर क्षेत्र ।
समय- लगभग 17.45 बजे ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ को उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गयी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाइयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, फील्ड यूनिट, नोएडा के पर्यवेक्षण तथा श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एसटीएफ नोएडा द्वारा टीम गठित कर जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र शाहपुर में भ्रमणशील रहकर उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली करने गैंग की तलाश में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी ।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट नोएडा को दिनांक 29-02-2024 को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पेपर आउट कराने वाला एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आरक्षी की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह के सदस्य कस्बा शाहपुर में मौजूद है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा थाना शाहपुर पुलिस को मकसद बताकर साथ लेकर मुखबिर के बताये हुए स्थल से अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू, उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान ने पूछताछ पर बताया कि जब वह वर्ष 2008-09 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कस्बा शाहपुर, मुजफ्फरनगर में कर रहा था तो वहाँ पर जनपद गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला अन्नु मलिक आता था, जो पूर्व से ही पैसा लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने का गैंग चलाता था। उसने भी अन्नु मलिक के सम्पर्क में आकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करना शुरू कर दिया। अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान का विपिन निवासी सरूरपुर बागपत रिस्तेदार है, जो वर्ष 2012 में सेना से रिटायर हुआ है, विपिन भी रिटायर होने के उपरान्त प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराने के काम में संलिप्त हो गया। अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान एवं विपिन अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसा लेकर धांधली करने का काम करने लगे। वर्ष 2017 में इब्राहिम पुर जनपद बागपत निवासी इन्द्र प्रताप सिंह को सी0एच0एस0सी0, सी0एच0एस0एल0 की परीक्षा में पास कराने हेतु 02 लाख रुपये अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान एवं उसके साथियों ने लिये थे परन्तु कार्य न होने के कारण इन्द्र प्रताप सिंह ने इन लोगो के विरुद्ध थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर पर मु0अ0सं0 530/17 धारा 406/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया था। इसके अतिरिक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान का एक रिश्तेदार कपिल तोमर निवासी ग्राम बेगमाबाद गढ़ी थाना दोघट, बागपत है वह भी इनके साथ मिलकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने का काम करता है। दिनांक 17 फरवरी 2024 को थाना क्षेत्र ट्रानिका सिटी गाजियाबाद के परीक्षा केन्द्र से अभियुक्त गुरुवचन एवं राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था, जिनके फोन से उ0प्र0 पुलिस आरक्षी की परीक्षा का दिनांक 18-02-2024 की द्वितीय पाली का प्रश्नपत्र बरामद हुआ था, जॉचोपरान्त ज्ञात हुआ कि यह प्रश्न पत्र कपिल तोमर द्वारा गुरुवचन आदि को उपलब्ध कराया गया था। कपिल तोमर की गिरफ्तारी के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपिल तोमर को उक्त कथित प्रश्न पत्र अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू एवं विपिन द्वारा उपलब्ध कराया गया था। इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को परीक्षा पत्र उपलब्ध कराने की एवज में प्रत्येक अभ्यर्थी से 05 लाख लेना तय हुआ था परन्तु परीक्षा निरस्त हो जाने के कारण अभियुक्तगण अभ्यर्थियों से पैसा प्राप्त नहीं कर पाये। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में आरक्षी जीडी की ऑनलाइन परीक्षा देशभर में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जा रही है इस परीक्षा में भी अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान एवं विपिन आदि धांधली कराने में संलिप्त हैं अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान से विभिन्न परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं तथा अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए उत्तर कुंजिका देकर परीक्षा में पास कराने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से 04 लाख रुपये लेना तय हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान की अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है-

- 1- मु0अ0सं0 530/17 धारा 406/504/506 थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 2- मु0अ0सं0 61/24 धारा 418/467/468/471/120बी भादवि एवं 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-1998 थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर ।
- 3- मु0अ0सं0 73/24 पर धारा 418/465/468/471/120बी भादवि एवं 9 UP PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT 1998 थाना ट्रानिका सिटी, गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त प्रवीण उर्फ मिन्दू बालियान के विरुद्ध थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर पर मु0अ0सं0 61/24 धारा 418/467/468/471/120बी भादवि एवं 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-1998 का अभियोग पंजीकृत हुआ है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।